



256/246

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
(MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA)

CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT VIDE ORDER DATED 08th DAY OF FEBRUARY, 2024 PASSED BY THIS COMMISSION IN CASE NO. 81 OF 2023 (HOLY FAMILY SCHOOL, SEMARA BUJURG, BHAILONI LODH P.O., BAR(BLOCK), MAHRONI(TEHSIL), LALITPUR DT., UTTAR PRADESH - 284123 VS ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT, GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH) HOLY FAMILY SCHOOL, AN UNAIDED INSTITUTION, (PRE-PRIMARY to 8th STD.) RUN BY THE CATHOLIC DIOCESE OF JHANSI EDUCATIONAL SOCIETY (NGO DARPAN UNIQUE ID: UP/2017/0154117) HAS BEEN DECLARED AS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION COVERED UNDER SECTION 2(g) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2004 WITH THE MAIN OBJECTIVE OF SUB-SERVING THE INTEREST OF THE CHRISTIAN COMMUNITY.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 22nd DAY OF FEBRUARY, 2024.

(MANOJ KUMAR KEJREWAL)
SECRETARY

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि 2023 के वाद संख्या 81 (होली फैमिली स्कूल, सेमरा बुजुर्ग, भैलौनी लोड पो., बार (ब्लॉक), महरोनी (तेहसील), ललितपुर जिला, उत्तर प्रदेश - 284123 बनाम अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार) में आयोग द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2024 को पारित आदेश के अनुसार होली फैमिली स्कूल को सहायता रहित संस्थान, उच्च प्राथमिक (पूर्व-प्राथमिक से 8वीं कक्षा तक) जो कि कैथोलिक डायोसेस ऑफ ज़ांसी एजुकेशनल सोसायटी (एनजीओ दर्पण यूनिक आईडी: UP/2017/0154117) द्वारा संचालित है, को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2(g) के अन्तर्गत एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य ईसाई समुदाय का हितसाधन करना है।

मेरे हस्ताक्षर और आयोग की मुहर के तहत दिनांक 22 फरवरी, 2024 को दिया गया।



(मनोज कुमार केजरीवाल)
सचिव